



प्रेस नोट जनपद बागपत

थाना बड़ौत

दिनांक 27.05.2026

थाना बड़ौत पुलिस ने थाने के मु0अ0सं0 359/26 धारा 304 बी.एन.एस से सम्बन्धित 01 अभियुक्त को बाद पुलिस मुठभेड़ घायल अवस्था में तथा 01 अन्य अभियुक्त को किया गिरफ्तार, जिनके कब्जे से घटना में प्रयुक्त 02 अवैध तमंचे .315 बोर मय 04 जिन्दा व 02 खोखा कारतूस .315 बोर तथा 01 मो0सा0 स्प्लैण्डर प्लस नं0 HR-10-AC-1160 बरामद ।

संक्षिप्त विवरण-

दिनांक

27.05.2026 को

थाना बड़ौत पर

वादी श्री देवेन्द्र पुत्र

श्री रामेश्वर निवासी

ग्राम लोयन

मलकपुर थाना

बड़ौत जनपद

बागपत द्वारा

लिखित तहरीर दी



गई कि मो0साइकिल स्प्लैण्डर प्लस लनं0 HR-10AC-1160 पर सवार 02 अज्ञात अभियुक्तों द्वारा वादी की रिश्तेदार के गले से छपट्टा मारकर सोने की चैन छीनकर मौके से फरार हो गए । इस सम्बन्ध में प्राप्त तहरीर के आधार पर थाना बड़ौत पर मु0अ0सं0 359/26 धारा 304 बी.एन.एस. पंजीकृत किया गया ।

कार्यवाही-

श्रीमान पुलिस अधीक्षक बागपत के निर्देशन में बागपत पुलिस द्वारा जनपद में अपराधों की रोकथाम एवं चोरों/लुटेरों अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे अभियान के अन्तर्गत थाना बड़ौत पुलिस द्वारा थाने के मु0अ0सं0 359/26 धारा 304 बी.एन.एस से सम्बन्धित 01 अभियुक्त को बाद पुलिस मुठभेड़ (घायलावस्था में) तथा 01 अन्य अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया है, जिनके कब्जे से घटना में प्रयुक्त 02 अवैध

तमंचे .315 बोर मय 04 जिन्दा व 02 खोखा कारतूस .315 बोर तथा 01 मो0सा0 स्प्लेन्डर प्लस नं0 HR-10AC-1160 बरामद हुई है।

उक्त गिरफ्तारी एवं बरामदगी के सम्बन्ध में थाना बड़ौत पर मु0अ0सं0 360/26 धारा 109(1)/3(5) बी.एन.एस. पंजीकृत कर आवश्यक वैधानिक कार्यवाही की जा रही है।

पूछताछ का विवरण:--

गिरफ्तार दोनों अभियुक्तों ने पूछताछ में बताया कि हमने बाबा श्याम ढाबा निकट धर्म कांटा, बुढाना रोड से एक महिला की चैन छिनी थी। हमारा एक अन्य साथी, जो मौके से फरार हो गया, उसका नाम अंकुर पुत्र सुनील निवासी ग्राम बिजरौल थाना बड़ौत जनपद बागपत है। अभियुक्तों ने बताया कि घटना के समय अंकुर सड़क किनारे खड़ा था, जिसे वहां मौजूद लोग देख नहीं पाए थे। अंकुर के साथ मिलकर ही महिला की चैन छिनने की योजना बनाई गई थी तथा छिनी गई चैन उसी को दे दी गई थी।

गिरफ्तार अभियुक्तगण का नाम व पता:-

- 1-कार्तिक उर्फ गोलू पुत्र अमित निवासी शास्त्री नगर थाना कविनगर जनपद गाजियाबाद (घायलावरस्था में गिरफ्तार)।
- 2-अंकुर उर्फ चिराग पुत्र नरेन्द्र निवासी ग्राम बिजरौल थाना बड़ौत जनपद बागपत।

बरामदगी का विवरण:-

- 02 अवैध तमंचा .315 बोर मय 04 जिन्दा व 02 खोखा कारतूस .315 बोर।
- 01 मो0सा0 स्प्लेन्डर प्लस नं0 HR-10AC-1160
(मु0अ0सं0 359/26 धारा 304 बी.एन.एस तथा मु0अ0सं0 360/26 धारा 103(1)/3(5) बीएनएस व 3/25/27 आयुध अधिनियम की घटना में प्रयुक्त)


गिरफ्तार अभियुक्त अंकुर उर्फ चिराग का आपराधिक इतिहास:-

- 1.मु0अ0सं0 1068/15 धारा 323/504/506 भादवि थाना बड़ौत जनपद बागपत।
- 2.मु0अ0सं0 363/2017 धारा 392/411 भादवि थाना बिनौली जनपद बागपत।
- 3.मु0अ0सं0 437/2017 धारा 379/411/420 भादवि थाना बिनौली जनपद बागपत।
- 4.मु0अ0सं0 1095/2019 धारा 323/452/504/506 भादवि थाना बड़ौत जनपद बागपत।
- 5.मु0अ0सं0 954/2019 धारा 323/504/506 भादवि थाना बड़ौत जनपद बागपत।
- 6.मु0अ0सं0 118/2021 धारा 307 भादवि थाना बड़ौत जनपद बागपत।

- 7.मु0अ0सं0 119/2021 धारा 3/25/27 आयुध अधिनियम थाना बड़ौत जनपद बागपत ।
- 8.मु0अ0सं0 120/2021 धारा 380/457 भादवि थाना बड़ौत जनपद बागपत।
- 9.मु0अ0सं0 603/22 धारा 307/323/34/504/506 भादवि व 3(2)(v) एस.सी./एसटी एक्ट थाना बड़ौत जनपद बागपत ।
- 10.मु0अ0सं0 606/22 धारा 307/323/324/34/506 भादवि व 3(2)(v) एस.सी./एसटी एक्ट थाना बड़ौत जनपद बागपत ।
- 11.मु0अ0सं0 1007/2022 धारा 174ए भादवि थाना बड़ौत जनपद बागपत ।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम:-

- 1-प्रभारी निरीक्षक श्री दीक्षित कुमार त्यागी थाना बड़ौत जनपद बागपत ।
- 2- व0उ0नि0 श्री प्रियव्रत आर्य थाना बड़ौत जनपद बागपत ।
- 3- उ0नि0 श्री रामकुमार थाना बड़ौत जनपद बागपत ।
- 4- उ0नि0 श्री मुकेश कुमार पाल थाना बड़ौत जनपद बागपत ।
- 5-उ0नि0 श्री सचिन कुमार थाना बड़ौत जनपद बागपत ।
- 6-है0का0 233 गौतम कुमार थाना बड़ौत जनपद बागपत ।
- 7-है0का0 678 योगेन्द्र कुमार थाना बड़ौत जनपद बागपत ।
- 8-है0का0 735 संदीप कुमार थाना बड़ौत जनपद बागपत ।
- 9-का0 301 मुलायम सिंह थाना बड़ौत जनपद बागपत ।
- 10-का0 666 रघुवीर सिंह थाना बड़ौत जनपद बागपत ।
- 11-का0 373 बबलू सिंह थाना बड़ौत जनपद बागपत ।





प्रेस नोट जनपद बागपत

थाना बिनौली

दिनांक 27.05.2026

थाना बिनौली पुलिस ने चैकिंग के दौरान एक अभियुक्त को किया गिरफ्तार,
जिसके कब्जे से एक अवैध चाकू बरामद ।

कार्यवाही-

बागपत पुलिस द्वारा जनपद में अपराधों की रोकथाम हेतु चलाये जा रहे ऑपरेशन शस्त्र के अन्तर्गत थाना बिनौली पुलिस द्वारा चैकिंग के दौरान एक अभियुक्त को गिरफ्तार किया है, जिसके कब्जे से एक अवैध चाकू बरामद हुआ है ।



उक्त गिरफ्तारी व बरामदगी के सम्बन्ध में थाना बिनौली पर मु0अ0सं0 150/2026 धारा 4/25 शस्त्र अधिनियम पंजीकृत कर अग्रिम विधिक कार्यवाही की जा रही है ।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता-

नकुल पुत्र दनपत निवासी करुबा व थाना बिनौली जनपद बागपत

बरामदगी का विवरण-

- 01 अवैध चाकू ।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम-

1-उ0नि0 श्री नीलकान्त सिंह थाना बिनौली जनपद बागपत ।

2- का0 1115 राहुल तिवारी थाना बिनौली जनपद बागपत ।

3.रि0का0 रि0का0 491 दीपक कुमार थाना बिनौली जनपद बागपत ।



प्रेस नोट जनपद बागपत

दिनांक 27.05.2026

बागपत पुलिस ने 04 वारंटी अभियुक्तों को किया गिरफ्तार ।

कार्यवाही-

बागपत पुलिस द्वारा जनपद में अपराधों की रोकथाम एवं वारंटी अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे अभियान के अन्तर्गत बागपत पुलिस ने 04 वारंटी अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया है एवं अग्रिम विधिक कार्यवाही की जा रही है ।



गिरफ्तार वारंटी अभियुक्तों का नाम व पता-

1-मुकेश कुमार पुत्र भोपाल निवासी पलडी थाना दोघट जनपद बागपत ।

2- सकील पुत्र बीरसैन निवासी पलडी थाना दोघट जनपद बागपत ।

3-आसिफ पुत्र इस्लाम निवासी बडी

मरिजद के पास ग्राम दाहा थाना दोघट जनपद बागपत।

4-अमित पुत्र अशोक निवासी पट्टी मुण्डाला करबा व थाना खेकड़ा जनपद बागपत

।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम-

1-थाना खेकड़ा पुलिस टीम । (01 वारंटी)

2-थाना दोघट पुलिस टीम । (03 वारंटी)





प्रेस नोट जनपद बागपत

थाना कोतवाली खेकडा दिनांक 27.05.2026

थाना कोतवाली खेकडा पुलिस ने चैकिंग के दौरान 06 अभियुक्तों को किया गिरफ्तार, जिनके कब्जे से दिल्ली मेट्रो से चोरी किया हुआ मेट्रो तार 02 बंडल (वजन करीब 70 किलोग्राम) व 02 अवैध चाकू बरामद ।

कार्यवाही-

बागपत पुलिस द्वारा जनपद में अपराधों की रोकथाम एवं चोरों/वांछित अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे अभियान के अन्तर्गत थाना कोतवाली खेकडा पुलिस द्वारा चैकिंग के



दौरान 06 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया है। जिनके कब्जे से दिल्ली मेट्रो से चोरी किया हुआ मेट्रो तार 02 बंडल (वजन करीब 70 किलोग्राम) व 02 अवैध चाकू बरामद हुए हैं।

उपरोक्त गिरफ्तारी व बरामदगी के सम्बन्ध में थाना खेकडा पर मु0अ0सं0 172/26 धारा 317(5) बीएनएस व 4/25 आर्म्स एक्ट पंजीकृत कर आवश्यक विधिक कार्यवाही की जा रही है।

नोट:- गिरफ्तार अभियुक्तों से पूछताछ करने पर पूर्व में थाना खेकडा क्षेत्र में ट्यूबवैलों से चोरी करना स्वीकार किया गया है जिसके सम्बन्ध में थाना खेकडा पर मु0अ0सं0 151/26 धारा 305 बीएनएस, मु.अ.स. 166/26 धारा 303(2) बीएनएस तथा मु.अ.स. 170/26 धारा 303(2) बीएनएस पंजीकृत है, उपरोक्त अभियोगों में भी अभियुक्तों के नाम प्रकाश में आये हैं जिनमें आवश्यक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्तों का नाम व पता:-

1.चाँद पुत्र शकील निवासी भट्टा बस्ती कस्बा व थाना खेकडा जनपद बागपत उम्र करीब 20 वर्ष।

2. फैसल पुत्र शाहिद निवासी नई बस्ती करबा व थाना खेकड़ा जनपद बागपत उम्र करीब 24 वर्ष ।
3. शाहिद उर्फ सिद्धू पुत्र साजिद निवासी मौहल्ला शेखपुरा करबा व थाना खेकड़ा जनपद बागपत उम्र करीब 18 वर्ष ।
4. आरिफ पुत्र बुल्ले निवासी भट्टा बस्ती करबा व थाना खेकड़ा जनपद बागपत उम्र करीब 18 वर्ष ।
5. समीर उर्फ चिलवा पुत्र हसीन अहमद निवासी नालापार ईदगाह के पीछे कच्ची कालौनी करबा व थाना खेकड़ा जनपद बागपत उम्र करीब 19 वर्ष ।
6. हरसलान उर्फ अरसलान पुत्र इम्तियाज निवासी मौहल्ला लाइनपार करबा व थाना खेकड़ा जनपद बागपत उम्र करीब 22 वर्ष ।

गिरफ्तार अभियुक्त चाँद का आपराधिक इतिहास-

1. मु0अ0सं0 151/26 धारा 305 बीएनएस थाना खेकड़ा जनपद बागपत ।
2. मु0अ0सं0 166/26 धारा 303(2) बीएनएस थाना खेकड़ा जनपद बागपत ।
3. मु0अ0सं0 170/26 धारा 303(2) बीएनएस थाना खेकड़ा जनपद बागपत ।

गिरफ्तार अभियुक्त फैसल का आपराधिक इतिहास-

1. मु0अ0सं0 151/26 धारा 305 बीएनएस थाना खेकड़ा जनपद बागपत ।
2. मु0अ0सं0 166/26 धारा 303(2) बीएनएस थाना खेकड़ा जनपद बागपत ।
3. मु0अ0सं0 170/26 धारा 303(2) बीएनएस थाना खेकड़ा जनपद बागपत ।

गिरफ्तार अभियुक्त शाहिद का आपराधिक इतिहास-

1. मु0अ0सं0 332/25 धारा 137(2)/132(2)/78 बीएनएस व 3(2)(5) sc/st act व 7/8 पोक्सो एक्ट थाना खेकड़ा जनपद बागपत ।
2. मु0अ0सं0 151/26 धारा 305 बीएनएस थाना खेकड़ा जनपद बागपत ।
3. मु0अ0सं0 166/26 धारा 303(2) बीएनएस थाना खेकड़ा जनपद बागपत ।
4. मु.अ.स. 170/26 धारा 303(2) बीएनएस थाना खेकड़ा जनपद बागपत ।

गिरफ्तार अभियुक्त आरिफ का आपराधिक इतिहास-

1. मु0अ0सं0 151/26 धारा 305 बीएनएस थाना खेकड़ा जनपद बागपत ।
2. मु0अ0सं0 166/26 धारा 303(2) बीएनएस थाना खेकड़ा जनपद बागपत ।
3. मु0अ0सं0 170/26 धारा 303(2) बीएनएस थाना खेकड़ा जनपद बागपत ।

गिरफ्तार अभियुक्त समीर का आपराधिक इतिहास-

1. मु0अ0सं0 151/26 धारा 305 बीएनएस थाना खेकड़ा जनपद बागपत ।
2. मु0अ0सं0 166/26 धारा 303(2) बीएनएस थाना खेकड़ा जनपद बागपत ।
3. मु0अ0सं0 170/26 धारा 303(2) बीएनएस थाना खेकड़ा जनपद बागपत ।

गिरफ्तार अभियुक्त अरसलान उर्फ हरसलान का आपराधिक इतिहास-

1. मु0अ0सं0 449/25 धारा 305/317(2) बीएनएस थाना खेकड़ा जनपद बागपत ।

2. मु0अ0सं0 462/25 धारा 305/317(2) बीएनएस थाना खेकड़ा जनपद बागपत ।
3. मु0अ0सं0 151/26 धारा 305 बीएनएस थाना खेकड़ा जनपद बागपत ।
4. मु0अ0सं0 166/26 धारा 303(2) बीएनएस थाना खेकड़ा जनपद बागपत ।
5. मु.अ.स. 170/26 धारा 303(2) बीएनएस थाना खेकड़ा जनपद बागपत ।

बरामदगी का विवरण

- दिल्ली मेट्रो से चोरी किया हुआ मेट्रो तार 02 बंडल (वजन करीब 70 किलोग्राम)
- 02 अवैध चाकू ।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम-

- 1-व0उ0नि0 श्री सागर सिंह थाना खेकड़ा जनपद बागपत ।
- 2-उ0नि0 श्री अमित कुमार चौहान थाना खेकड़ा जनपद बागपत ।
- 3-उ0नि0 श्री विकास कुमार थाना खेकड़ा जनपद बागपत ।
- 4-है0का0 53 रविन्द्र कुमार थाना खेकड़ा जनपद बागपत ।
- 5-है0का0 733 योगेश कुमार थाना खेकड़ा जनपद बागपत ।
- 6-है0का0 299 रामकुमार थाना खेकड़ा जनपद बागपत ।
- 7-है0का0 785 सुनील कुमार थाना खेकड़ा जनपद बागपत ।
- 8-है0का0 440 राशिद खान थाना खेकड़ा जनपद बागपत
- 9-है0का0 489 सुनील कुमार थाना खेकड़ा जनपद बागपत
- 10-रि0 का0 544 कृष्ण कुमार थाना खेकड़ा जनपद बागपत ।
- 11-रि0का0 195 विवेक कुमार थाना खेकड़ा जनपद बागपत ।
- 12-रि0का0 605 नारायण थाना खेकड़ा जनपद बागपत ।



प्रेस नोट जनपद बागपत

थाना खेकडा

दिनांक 27.05.2026

थाना खेकडा पुलिस ने चैकिंग के दौरान 02 अवैध शराब तस्करों को किया गिरफ्तार, जिनके कब्जे से 26 अदद टेट्रा पैक देशी शराब (मसाला) मात्रा 200मि०ली० (यूपी नं० 01), घटना में प्रयुक्त मोटर साइकिल स्पलेन्डर नं० UP16EX8288 के बरामद होना ।

कार्यवाही-

बागपत पुलिस द्वारा जनपद में अपराधों की रोकथाम एवं शराब तस्करों की गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे अभियान के अन्तर्गत थाना खेकडा पुलिस द्वारा चैकिंग के दौरान मुखिबर की सूचना पर 02 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया है। गिरफ्तार अभियुक्तों के कब्जे से 26 अदद टेट्रा पैक देशी शराब (मसाला) मात्रा 200मि०ली० (यूपी नं० 01), घटना में प्रयुक्त मोटर साइकिल स्पलेन्डर नं० UP16EX8288 बरामद हुई है ।



उपरोक्त गिरफ्तारी व बरामदगी के सम्बन्ध में थाना खेकडा पर मु०अ०सं० 171/26 धारा 60/72 उ०प्र० आबकारी अधि० पंजीकृत कर आवश्यक विधिक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता-

1. अभिषेक पुत्र अनिल नि० ग्राम फखरपुर थाना खेकडा जनपद बागपत उम्र करीब 22 वर्ष
2. गुलाब पुत्र चरन सिंह उम्र 34 वर्ष निवासी ग्राम फिरोजपुर थाना खेकडा जनपद बागपत .

बरामदगी का विवरण-

1. 26 अदद टेट्रा पैक देशी शराब (मसाला) मात्रा 200मि०ली० (यूपी नं० 01),
2. घटना में प्रयुक्त मोटर साइकिल स्पलेन्डर नं० UP16EX8288

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम-

1. उ०नि० श्री सुजीत कुमार थाना खेकडा, बागपत
2. उ०नि० भुवनेश्वर कुमार थाना खेकडा बागपत
3. HC 330 प्रवीन कुमार थाना खेकडा बागपत
4. रि०का० 318 प्रशान्त चौधरी थाना खेकडा बागपत



प्रेस नोट जनपद बागपत

थाना बडौत

दिनांक 27.05.26

थाना कोतवाली बडौत पुलिस ने थाने के मु0अ0स0 357/2026 धारा 3(5),103(1) बीएनएस में वांछित 02 अभियुक्तों को किया गिरफ्तार ।

संक्षिप्त विवरण:-

दिनांक 25.05.2026 को थाना बडौत पर वादी श्री नीटू पुत्र ओमी सिंह निवासी- ग्राम हिलवाडी थाना बडौत जनपद बागपत ने लिखित तहरीर दी कि अभियुक्तों 1.बबलू पुत्र महीपाल, 2.रविन्द्र पुत्र नरेश निवासीगण ग्राम हिलवाडी, थाना बडौत जनपद बागपत व दो



अज्ञात के द्वारा आवेदक के भाई चन्द्रपाल पुत्र ओमी सिंह निवासी ग्राम हिलवाडी थाना बडौत के साथ लाठी, डण्डो व ईंटो से जान से मारने की नियत से मारपीट की गई, जिससे आवेदक के भाई चन्द्रपाल की मौके पर ही मृत्यु हो गई । इस सम्बन्ध में प्राप्त तहरीर के आधार पर थाना बडौत पर मु0अ0सं0 357/26 धारा 3(5),103(1) बी.एन.एस. पंजीकृत किया गया।

कार्यवाही-

बागपत पुलिस द्वारा जनपद में अपराधों की रोकथाम एवं वांछित अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे अभियान के अन्तर्गत थाना कोतवाली बडौत पुलिस द्वारा थाने के मु0अ0सं0 357/26 धारा 3(5),103(1) बी.एन.एस. में वांछित 02 अभियुक्तों को नहर पटरी ईदरीश के पास स्थित रेलवे के अन्डरपास थाना क्षेत्र बडौत से गिरफ्तार किया गया है एवं उक्त सम्बन्ध में थाना बडौत पर अग्रिम विधिक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्तों का नाम पता:-

1-रविन्द्र उर्फ भोटू पुत्र नरेशपाल सिंह निवासी ग्राम हिलवाडी थाना बडौत जनपद बागपत उम्र 30 वर्ष ।

2. पुष्पेन्द्र उर्फ बबलू पुत्र श्री महीपाल सिंह निवासी ग्राम हिलवाडी थाना बडौत जनपद बागपत उम्र 34 वर्ष ।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम-

1-उ०नि० श्री नन्हे सिंह थाना बडौत ।

2-उ०नि० आरिफ अली थाना बडौत ।

3-है०का० 788 करण सिंह थाना बडौत ।

4-है०का०268 ग्रीश कुमार थाना बडौत ।

